In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Shri Sunny Kumar s/o Ashok Kumar, VPO Manoh, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Abhilasha Devi d/o Surat singh, VPO Rirkmar, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.). . . *Applicants.*

Versus

1. General Public.
2. Local Registrar, Gram Panchyat Borusarna. . .*Respondents.*

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 16 of Special Marriage Act, 1954.

Applicants Shri Sunny Kumar s/o Ashok Kumar, VPO Manoh, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Abhilasha Devi d/o Surat Singh, VPO Rirkmar, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) has filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 04-06-2025 as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the ojection personally or in writing before this court on or before 17-10-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal. Sd/-

(KARTAR CHAND),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera exercising the Powers of Marriage Officer, Dheera, Distt. Kangra (H.P.)

In Ref. :

Munish Kumar and Kumari Shabnm

Versus

General Public

Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the Registration of Marriage.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by undersigned from Munish Kumar s/o Sh. Chaman Lal, r/o Village Baloti, P.O. Dheera, Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) and Kumari Shabnam d/o Swarn Singh, r/o VPO Spail, Tehsil Nagrota Suriyan, Distt. Kangra (H.P.). If there is any objection on this marriage, the objection in person or

through counsel be submitted to this office on or before 11-11-2025 otherwise the marriage will be registered.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum- SDM, Dheera,
Sub-Division Dheera, District Kangra (H.P.).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 21 / Teh. / B/2025 तिथि दायरा : 23—08—2025 तारीख पेशी : 28—10—2025

किस्म मु0 : जन्म पंजीकरण

शीर्षक :

सुषमा देवी पुत्री विचित्र सिंह, निवासी गांव, डाकघर गगल खोली, ग्राम पंचायत गगल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . .प्रत्यार्थीगण।

विषय.——प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार / नोटिस

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव व डाकघर गगल खोली, ग्राम पंचायत गगल में दिनांक 30—08—1978 को हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गगल के अभिलेख में दर्ज न करवाई है जिसे वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत गगल के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस बारे मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया की जन्म तिथि 30—08—1978 को ग्राम पंचायत गगल के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28—10—2025 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदिका की जन्म तिथि 30—08—1978 को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत गगल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 28–10–2025

सुभाषना देवी पुत्री जगदीश चन्द, निवासी हैंजा, डाकघर भवारना, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिया सुभाषना देवी पुत्री जगदीश चन्द, निवासी हैंजा, डाकघर भवारना, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 08–09–1975 को गांव हैंजा, डाकघर भवारना में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत हैंजा के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सुभाषना देवी पुत्री जगदीश चन्द के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत हैंजा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28–10–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया सुभाषना देवी पुत्री जगदीश चन्द के जन्म दिनांक 08–09–1975 के आदेश ग्राम पंचायत हैंजा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

कार्यालय नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 631/एन.टी./आर.के.टी. तारीख पेशी : 28–10–2025

उनवान मुकद्दमा :

जोगिन्द्र सिंह

बनाम

सतीश कुमार आदि।

विषय.––मुश्त्री/मुनादी व चस्पांगी करवाये जाने सम्बन्धी।

नोटिस बनाम

1. सतीश कुमार पुत्र वैन्तू, 2. जसवंत सिंह पुत्र वैन्तू, 3. श्रीमती शिमलो देवी विधवा वैन्तू, 4. जगदेव चन्द पुत्र शंकर 5. श्रीमती जटो देवी विधवा शंकर 6. (1) राजेश कुमार पुत्र विधि चन्द, (2) मंजू वाला पुत्री विधि चन्द, (3) रन्जू वाला पुत्री विधि चन्द, (4) वंदना पुत्री विधि चन्द, (5) शकुंतला देवी विधवा विधि चन्द, निवासी रैहन खास, उप–तहसील राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उपरोक्त की तलवी के लिये इस अदालत द्वारा साधारण तरीके से कई बार इस अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हो पा रही है, जिस कारण प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तामील न होने पर उक्त केस में अग्रिम कार्यवाही करने में विलम्ब हो रहा है।

अतः इस नोटिस इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादी/प्रतिवादीगण/हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह/वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 28–10–2025 को समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आवें, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार हस्ब जावता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————